रा. मुकुमार बनाम बंशीधर राम वगैरह मुकद्दमा 255/2017

02.9.2014 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई फिर भी हाजिर नहीं। वाद वादी अड़म पैरवी व अड़म हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.09 12:49:58 IST
Reason: SelfAttested